



MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No. F.14() Acad.II/MDSU/2022/ 23722

Dated:- 11-09-23

The Principal,
St. Soldier Mahila Mahavidyalaya,
Civil Lines, Tal Katora,
Tonk. (Rajasthan) 304001

Sub:- Extension in provisional affiliation for the session 2018-19 to 2021-22.

Dear sir,

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above. I am directed to inform you that on the recommendation of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college in the course mentioned below for the academic session along with the seats as mentioned against the said course subject to fulfillment of the conditions mentioned below and overleaf during the session the aforesaid period.

Course	Session	Seats
B.A. B.Ed.	2018-19 to 2021-22	50 (One Unit)
B.Sc.B.Ed.	2018-19 to 2021-22	50 (One Unit)

नोट:- महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से 2021-22 तक में 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड. / बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम की उपरोक्त अंकित सीटों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि विश्वविद्यालय पत्रांक 6531 दिनांक 25.03.2023 के क्रम में विश्वविद्यालय रसीद सं. 0000408 दिनांक 31.07.2023 के द्वारा आर्थिक दण्ड राशि रु.2,36,000/- (अक्षरे रु. दो लाख छत्तीस हजार) मात्र (मय जीएसटी राशि 36,000/-) विश्वविद्यालय कोष में जमा कराए जाने के पश्चात् निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है, कि महाविद्यालय को 60 दिवस में निम्नानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाना अनिवार्य है, अन्यथा आगामी सत्र में प्रवेश पर रोक रहेगी:-

सत्र 2018-19:-

1. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनिमय मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनिमय 2017 के प्राक्धानानुसार नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं हैं, योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय सत्र 2018-19 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2019-20:-

1. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनिमय मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनिमय 2017 के प्राक्धानानुसार नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं हैं, योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय सत्र 2019-20 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2020-21:-

1. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनिमय मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनिमय 2017 के प्राक्धानानुसार नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं हैं, योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।




2. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय सत्र 2020-21 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2021-22:-

1. महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनिमय मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनिमय 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं हैं, योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालय सत्र 2021-22 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

The application for the extension in provisional affiliation for the session 2022-23 along with required fee may be sent together with a report about the fulfillment of the conditions of the provisional affiliation up to 31st Dec. 2021. If already deposited, need not to deposit.

Yours faithfully,


Dy. Registrar (Acad-II)

The provisional Affiliation is subject to the following conditios:-

- I. To follow and observe the University Act, Statutes, Ordinance, Regulations, Rules and Instructions framed, amended adopted and issued from time to time relating to:-
 - a) Admission of only eligible students allotted through Coordinator will be made.
 - b) To follow curricular course of study as prescribed by the University from time to time including scheme of examinations and conduct of examinations.
 - c) Appointment of qualified Teaching/Technical support staff / supporting staff within stipulated period as per the NCTE norms.
- II. (i) Staff Appointment of permanent and qualified Principal and teaching staff on full time basis selected by duly constituted committees as per norms of the NCTE, UGC and the University and appointment will be got approved from the University.
(ii) Building Construction of sufficient building and infrastructure, play ground and hostel building etc. as per the provisions of the NCTE norms.
- III. Library:- As per the norms of NCTE year wise development of college Library and provision of funds for journals and magazine be made. Year wise bifurcation of books purchased details be submitted.
- IV. Endowment Fund:- Sufficient endowment fund as prescribed in rules be credited and University will be supplied a copy of FDR etc in the name of Registrar and Management Committee.
- V. Faculty members:- Appointment of faculty members as per the norms of NCTE be made.
- VI. (a) Number of admission will be restricted to the number of seats allotted by University. No admission over and above the number of seats allotted will be made.
(b) No admissions may be given in the subject(s)/course(s) without obtaining the affiliation in the subject(s)/course(s) concerned.
Non compliance will entail severe action against the college as per the letter no. 31170-313 dated 23-02-2003 and responsibility for the same will be with the college administration.
- VII. In case of any compliance or failure to observe the conditions of the affiliation, the college will be liable for the penalty and action as per the Notification No. 18349 dated 22-05-2012.



MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No. F.14 (117) Acad. II/ M.D.S.U./2018/ 665/

Dated: 17.4.18
REGISTERED

The Principal,
St. Soldier Mahila Mahavidyalaya,
Tal Katora Chauraha, Civil Line,
Tonk - 304001.

Subject:- Grant of Fresh Affiliation in Four Year Integrated B.A. B.Ed. and B.Sc. B.Ed. Courses for the session 2017-2018.

Ref. :- Your application and Inspection Report.

Dear Sir/Madam,

This is in reference to your application and Inspection Report on the subject cited above, in this connection this to inform you that on the basis of Inspection Report and recommendation of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant **Fresh Provisional Affiliation** to your College in **Four Year Integrated B.A. B.Ed. Course (with 50 Seats-One Unit)** and **B.Sc. B.Ed. Course (with 50 Seats-One Unit)** as per N.C.T.E. norms for the Session 2017-2018, subject to fulfillment of the conditions as mentioned below:-

1. "To follow and observe the University Act, Statutes, Ordinances, Regulations, Rules and Instructions framed, amended, adopted and issued from time to time in General and specifically relating to :
 - (a) Admissions of students in the B.A. B.Ed. Course and B.Sc. B.Ed. Course will have to be made up to the allotted seats.
 - (b) To follow curricula/Courses of study as prescribed by the University from time to time including scheme of examinations and conduct of examinations.
 - (c) Appointment of Teaching/Sports/PTI/Library Staff."
2. (i) All the conditions as prescribed by the State Govt. in the N.O.C. No. F.24(NOC 17-18) / B.A. B.Ed./B.Sc.B.Ed./Akashi/17/340 dated 25-05-2017 and NCTE recognition letter No. NRC/ NCTE/NRCAPP-201615076/Recognition/174316 dated 2-05-2017 will have to be followed and compliance report of fulfillment of all conditions will be submitted within two months.
 - (ii) Staff: Appointment of permanent and qualified Principal and teaching staff on the fulltime basis selected by a duly constituted Committee as per the norms of NCTE/State Govt./UGC before the commencement of the session.
 - (iii) That the reserve fund for an amount equal to three months salary of the Teachers and Staff be created within one year from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five Years) in a Nationalized Bank.
 - (iv) Building: Construction of sufficient building as per guidelines of the NCTE/University provisions, play grounds and hostel building.
 - (v) Library: Year wise development of college Library and provision of funds for journals and magazines be made.
 - (vi) Faculty Members: Appointments of faculties as per norms of NCTE should be made.
 - (vii) To make compliance and fulfillment of the conditions laid down in your affiliation letter and submit it **within two months** from the date of issue of this letter.
3. To provide the information as asked for by the University from time to time including Statistics etc.
4. To follow strictly rules and regulations and amendments governed by the University & NCTE from time to time.
5. महाविद्यालय सत्र 2017-2018 में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए. बी.एड. एवं बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु जारी पत्र की दिनांक से दो माह में उक्त पत्र में अंकित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

लगातार.....2...

6. महाविद्यालय को सत्र 2017-2018 में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए.बी.एड. पाठ्यक्रम में (50 सीट-एक यूनिट) व बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम में (50 सीट-एक यूनिट) की नवीन अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय पत्रांक 4399 दिनांक 9.03.2018 के क्रम में विश्वविद्यालय रसीद सं. 0004128 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा आर्थिक दण्ड रु. 50,000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा कराये जाने के पश्चात् इस आधार पर प्रदान की गई है कि महाविद्यालय 60 दिवस में निम्नानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा कमी पूर्ति नहीं करने पर सत्र 2018-2019 के प्रवेश पर रोक रहेगी:
1. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2017-2018 में उक्त पाठ्यक्रमों हेतु डॉ० साधना सिंह, वर्ष 2002 की पी.एच.डी. उपाधि धारक एवं 09 वर्ष से अधिक के शैक्षणिक अनुभवधारी को प्राचार्य के रूप में नियुक्त दर्शाया गया है। जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार यूजीसी रेग्यूलेशन 2009 के अनुसार पी.एच.डी. उपाधि धारक नहीं होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
 2. महाविद्यालय में सत्र 2017-2018 में उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त समस्त शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी नहीं है। निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
 3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2017-2018 में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए.-बी.एड. एवं बी.एससी.-बी.एड. पाठ्यक्रमों हेतु एनसीटीई के निर्धारित मानदण्डानुसार 1000 शीर्षकों की 3000 पुस्तकों के विरुद्ध लगभग 647 शीर्षकों की 1850 पुस्तकों के क्रय के बिलों प्रति प्रेषित की गई है। निर्धारित मानदण्डानुसार 353 शीर्षकों की 1150 पुस्तकें कम क्रय की गई है। अतः निर्धारित मानदण्डानुसार पुस्तकों के क्रय के बिलों व सम्पूर्ण परिग्रहण पंजिका भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 4. महाविद्यालय उक्त पाठ्यक्रमों हेतु जारी पत्र की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में नियमानुसार कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर एवं महाविद्यालय के संयुक्त खाते की संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त एफडीआर की सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 5. महाविद्यालय सत्र 2017-2018 में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

It may be noted that the application for extension in provisional affiliation/ fresh/permanent affiliation (as the case may be) for the session 2018-2019 along with the copy of original Receipt & detailed fee statement, after depositing prescribed fee by Demand Draft in the University (failing which the application form shall be treated as cancelled or otherwise in the case of part submission of the necessary fee the part payment so made shall be forfeited and the said application form shall be rejected) together with a report about the fulfillment of the conditions of the affiliation up to 31st December, 2017. If already deposited, need not to deposit.


REGISTRAR